केन्द्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध : भारतीय संघवाद के संदर्भ में एक विशेष अध्ययन

20.04.24

Head
University Department of Political Science
Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा

के

सामाजिक विज्ञान संकाय

(राजनीति विज्ञान) के अन्तर्गत

MB Verma
20.04.2024

शोध–प्रारूप

पी–एच0 डी0 की उपाधि हेतु प्रस्तुत

18/04/24
शोध पर्यवेक्षक
(Dr. Umakant Paswan)
Assistant Professor
J.N. College, Madhubani

गवेषक
राम कुमार मंडल
18/04/2024
(राम कुमार मंडल)
NET Qualified- 2018
Roll No.- E2216044

पी–एच0 डी0 उपाधि हेतु शोध परियोजना का प्रारूप
सामाजिक विज्ञान संकाय (राजनीति विज्ञान)
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा।

1. प्रस्तावित शोध का शीर्षक :

"केन्द्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध : भारतीय संघवाद के संदर्भ में एक विशेष अध्ययन"

2. अध्ययन विषय का विवरणः–

अम्बेडकर के मतानुसार भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, क्योंकि इसने दोहरी राजव्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें केंद्र और राज्य संघ की परिधि में शामिल है, जिनमें से प्रत्येक को क्रमशः सौंपे गए क्षेत्र में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। 'संघवाद' शब्द का संविधान में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन एक शासन संरचना के बारे में जो निष्कर्ष निकालता है वह काफी हद तक संघीय है।

एक संघीय देश में, केंद्र–राज्य संबंध राजनीति का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जो हमें केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित होने के दोहरे चरित्र के बारे में सिखाते हैं। अपने–अपने क्षेत्र में केंद्र और राज्य को श्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संविधान देश को 'राज्यों के संघ' के रूप में संदर्भित करता है। एक अलग खंड 'संघ–राज्य संबंधों' के लिए समर्पित है, जिसमें शक्तियों को कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियों के रूप में केंद्र–राज्य संबंधों के बीच विभाजित किया गया है। चूँकि केंद्र और राज्य अपने–अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनसे बड़े पैमाने पर सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। परिणामस्वरूप, भारत के संविधान में कई धाराएँ विभिन्न स्तरों पर केंद्र–राज्य संबंधों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं।

भारतीय संविधान का भाग XI केंद्र–राज्य संबंधों को समर्पित है। इसे विधायी और प्रशासनिक संबंधों में विभाजित किया गया है। भाग XII में वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून भी शामिल हैं।

18/04/24

18/04/2024

विधायी संबंध

अनुच्छेद 245–255 संघ और राज्यों, विशेष रूप से संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। यह संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के दायरे का विश्लेषण करता है। प्रावधानों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि संसद के पास स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडलों पर अधिक शक्तियां हैं।

विभिन्न प्रावधान उन विषयों को परिभाषित करते हैं जिन पर वे कानून बना सकते हैं, राज्य और राष्ट्रीय कानून के बीच असंगतता का परिणाम, संसद की अवशिष्ट शक्तियां और कई अन्य प्रावधान। अनुसूची VII, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को संबोधित करती है।

प्रशासनिक संबंध

अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों से संबंधित हैं, जिनमें केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों के बीच के संबंध भी शामिल हैं। यद्यपि भारत संघीय है, इसमें एकात्मक विशेषताएं हैं, और इसलिए अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संसद द्वारा पारित कानूनों का पालन करें और इसके उल्लंघन में कोई कार्यकारी या प्रशासनिक कार्य न करें।

केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग ने दोनों के बीच प्रशासनिक संबंधों में सहकारी संघवाद की वकालत की। यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि संघीय और राज्य स्तर पर काम करने वाली कई पार्टियाँ अक्सर उथल–पुथल और अविश्वास पैदा करती हैं, जिससे प्रशासन अक्षम हो जाता है।

वित्तीय संबंध

संविधान का भाग XII, अनुच्छेद 264 से 293, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध से संबंधित है। चूँकि भारत एक संघीय देश है, इसलिए जब कराधान की बात आती है तो यह शक्तियों के विभाजन का पालन करता है, और राज्यों को धन आवंटित करना केंद्र की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, इसमें केंद्र और राज्यों द्वारा कर लगाने और आवंटन, राज्यों को अनुदान, अधिभार इत्यादि से संबंधित कई नियम शामिल हैं। वस्तु एवं सेवा कर, एक दोहरी संरचना कर, वित्तीय केंद्र–राज्य संबंध का एक हालिया उदाहरण है।

18/04/24

भारतीय संविधान एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय है। राज्य सरकारों द्वारा शासित लोगों की मांगों को पूरा करने के साथ–साथ भारत की एकता को बनाए रखने के लिए संघीय प्रणाली को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप, केंद्र–राज्य संबंध, या केंद्र सरकार और राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में समझौते हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं।

अंतर्निहित संरचना ऐसी बनी हुई है जिसमें विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय प्राधिकरण केंद्र सरकार में अत्यधिक केंद्रित हैं, जिससे राज्यों पर कई दायित्वों का बोझ है लेकिन पर्याप्त स्वायत्तता का अभाव है।

विधायी क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे केंद्र द्वारा राज्य–सूची के विषयों में घुसपैठ और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए सहमति प्राप्त करने में देरी से संबंधित हैं। वित्तीय क्षेत्र में, प्रमुख मुद्दे संसाधन जुटाने और आवंटन जैसे मामलों में केंद्र सरकार में शक्तियों के बढ़ते केंद्रीकरण और योजना जैसे आर्थिक निर्णय लेने के अन्य प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं।

केंद्र–राज्य संबंधों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने के साथ, केंद्र सरकार ने 1983 में सरकारिया आयोग की भी स्थापना की थी। हालांकि इस आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में लगभग पांच साल लग गए, लेकिन इसकी सिफारिशों में उल्लिखित अधिकांश बुनियादी मुद्दों को हल करने में विफल रहीं, वित्तीय क्षेत्र में कुछ मामूली सुधारों को छोड़कर जैसे– नगरपालिकाओं को कर–मुक्त बांड जारी करने की शक्तियां देना, खेप कर पर मुख्यमंत्रियों के निर्णयों का समर्थन करना, ओवर ड्राफ्ट ऋणों के लिए समय सीमा को थोड़ा बढ़ाना आदि। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारिया आयोग की इन सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया है।

भारत सरकार ने 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र–राज्य संबंधों पर एक आयोग का गठन किया, जो परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र–राज्य संबंधों के नए मुद्दों पर गौर करेगा। भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में, सरकारिया आयोग ने आखिरी बार दो दशक पहले केंद्र–राज्य संबंधों के मुद्दे पर विचार किया था।

आयोग ने संघ और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज, विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों, राज्यपालों की भूमिका, आपातकालीन प्रावधानों, वित्तीय

18/04/24

18/04/2024

संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में न्यायालयों की विभिन्न घोषणाओं की जांच और समीक्षा किया। उदाहरणस्वरूप आर्थिक और सामाजिक योजना, पंचायती राज संस्थाएं, अंतरराज्यीय नदी जल सहित संसाधनों का बंटवारा आदि। आयोग ने 30 मार्च 2010 को सरकार को प्रस्तुत अपनी सातवें खंड की रिपोर्ट में 273 सिफारिशें किया।

भारतीय संविधान का लक्ष्य सहयोगात्मक या सहकारी संघवाद बनाना है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के माध्यम से राज्यों को कुछ स्वायत्तता दी जाती है ताकि यह गारंटी दी जा सके कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन कुशल बना रहे। संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्र एक ही समय में राज्यों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। प्रस्तावित शोध अध्ययन में यह देखना चाहेंगे कि भारत के आर्थिक विकास में केन्द्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध की क्या भूमिका है ? गठबंधन की सरकार में केन्द्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध किस प्रकार प्रभावित हुआ ?

3. पूर्व अध्ययनों की समीक्षाः–

केन्द्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हरमन फाइनर ने कहा है कि, "संघवाद वह है जिससे राज्य की शक्तियाँ एवं अधिकार एक केन्द्रीय संस्था एवं सरकार के पास ही रहते हैं। राज्यों को पूर्ववत स्वाधीन होना चाहिए और उन्हें संघ का निर्माण स्वेच्छा से ही करना चाहिए।"

डी.डी. वसु का कथन है कि, "किसी संघात्मक शासन व्यवस्था की सफलता और दृढ़ता सरकारों के मध्य अधिकतम सहयोग और समन्वय पर निर्भर रहती है।"

ग्रेनेनविल आस्टिन लिखते हैं, भारत नई दिल्ली नहीं है बल्कि राज्यों की राजधानियाँ भी है। राज्य केन्द्रीय सहायता के आकांक्षी हैं, किन्तु राज्यों के सहयोग के बिना संघ बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की नीतियों का माध्यम हो सकती हैं, किन्तु उनकी सहायता के बिना केन्द्रीय सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकती। वस्तुतः दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। इस भावना को साकार कर केन्द्र–राज्य सम्बन्धों की आदर्श स्थिति उत्पन्न की जा सकती है।

एम.सी. सीतलवाड़ के अनुसार, "प्रधान (जनरल) और क्षेत्रीय (रीजनल) सरकारों के बीच विधायी कार्यवाही की यह अन्योन्याश्रित क्रिया अनेक क्षेत्र में प्रधान तथा क्षेत्रीय

18/04/24

18/04/2024

सरकारों को सद्भावनापूर्ण सहयोग की ओर ले गयी है।" एम.सी. सीतलवाड़ ने उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार "राज्य सूची में अनेक प्रविष्टियां संघ सूची की प्रविशिष्ट के अन्तर्गत रखी गई है।

डॉ. महादेव प्रसाद शर्मा ने लिखा है कि, "जब राज्यों के सिर पर संघ का भय सर्वदा विद्यमान रहता है तो उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे पूर्ण विश्वास के साथ अपने अधिकारों की मांग दृढ़तापूर्वक करेंगे।" डॉ. महादेव प्रसाद शर्मा के शब्दों में, "संघीय वित्त व्यवस्था की आदर्श प्रणाली वह होगी जिससे स्पष्ट रूप से राजस्व स्रोतों का विभाजन संघ तथा राज्यों के मध्य में किया गया है जिससे दोनों पक्षों में से प्रत्येक को एक दूसरे से स्वतंत्र बनाया जा सके। तथापि कुछ ही संघीय देश इसको प्राप्त कर सके हैं।

श्री कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में ठीक ही कहा कि, "आपातकालीन शक्तियों को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा क्योंकि इन उपबन्धों के बिना संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न अन्ततः असफल हो जायेंगे।"

के. सन्थानम के अनुसार, नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित्त सम्बन्धी सभी मामलों में राज्यों की स्वायत्ता को एक छाया रूप प्रदान कर दिया है। वस्तुतः नियोजन का संघवाद पर जो प्रभाव पड़ा है, उसने केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन दिया है। भारत में सम्पूर्ण देश, केन्द्र एवं राज्यों के लिए योजना निर्माण का कार्य, योजना का कार्य, योजना आयोग करता है।

पॉल एच.ए. पिल्लवी ने लिखा है कि, भारतीय शासन व्यवस्था ऐसी है कि इसमें प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकारें करती हैं और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र को उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है।

एम.पी. सिंह लिखते हैं कि घटक दलों के मंत्री भी मोदी के पीछे 'meekly fall in line' रहते हैं। भा.ज.पा. द्वारा भी विपक्षी दलों के प्रति वही हथकण्डे अपनाया जा रहा है जो पूर्व में काँग्रेस द्वारा अपनाए गये थे।

4. अध्ययन की प्रासंगिकता:–

भारत के संविधान निर्माताओं के सामने मुख्य प्रश्न था कि संविधान का स्वरूप एकात्मक हो या संघात्मक और इस प्रश्न पर मध्यम मार्ग अपनाया गया। भारतीय संविधान का बहिरंग संघात्मक है पर अन्तरंग एकात्मक। संविधान में भारत को राज्यों

18/04/24

18/04/2024

का संघ (Union of States) कहा गया है और संविधान में जहाँ कुछ संघवाद के मान्य लक्षण पाये जाते हैं, वहाँ एकात्मक राज्य के लक्षणों का प्रभुत्व भी जहाँ–तहाँ दिखता है। संविधान निर्माताओं की मंशा भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करनी थी, लेकिन संविधान में कहीं भी संघ (Federation) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। वरन् संघ के स्थान पर 'राज्यों का संघ' शब्द के प्रयोग का स्पष्टीकरण देते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, "प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है।"

राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के सम्बन्धों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों एकल एवं संघीय में वर्गीकृत किया है। परिभाषा के अनुसार, एकल या एकात्मक सरकार वह है, जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केन्द्रीय सरकार में निहित होती है। दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केन्द्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं, दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं। संघीय मण्डल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केन्द्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया– देश का वृहद आकार एवं सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्ता एवं राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी।

भारत में केन्द्र–राज्य सम्बन्ध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। आधुनिक राज्य में इसके सिद्धान्त एवं व्यवहार का प्रचलन अमेरिका के संयुक्त राज्य की स्थापना से आरंभ हुई है। संघ व्यवस्था में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करती है। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन की प्रासंगिकता वर्तमान दौर में और बढ़ जाती है।

18/04/24

5. उद्देश्यः—

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों का निरूपण किया गया हैः—

(i) संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे जटिल समस्याओं का अध्ययन करना।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच टकराव के प्रमुख कारण का अध्ययन करना।

(iii) केन्द्र एवं राज्य के प्रशासनिक सम्बन्धों में राज्यपाल की भूमिका का अध्ययन करना।

(iv) राज्य के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य की प्रशासनिक सम्बन्धों की समीक्षा करना।

6. उपकल्पनाएँः—

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न उपकल्पनाओं की स्थापना की गई हैः—

(i) संघात्मक सरकार में केन्द्र तथा राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण प्रशासनिक सम्बन्ध आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

(ii) राज्यों में राज्यपाल राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

(iii) वैचारिक मतभेदों के कारण केन्द्र एवं राज्यों की सरकार के बीच प्रशासनिक संबंध में गतिरोध उत्पन्न होता है।

(iv) केन्द्र एवं राज्य में दलीय बहुरूपता से एवं केन्द्र में किसी एक दल के बहुमत के अभाव में राज्य प्रबल हो जाते हैं।

7. शोध पद्धति एवं स्रोतें

प्रस्तुत अध्ययन हेतु विश्लेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना का उपयोग किया जायेगा। प्राथमिक एवं द्वैतीयक श्रोतों का उपयोग किया जायेगा। प्राथमिक श्रोत के रूप में केन्द्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध पर आधारित वक्तव्यों, आलेखों, निर्णयों आदि का प्रयोग किया जाएगा। द्वैतीयक श्रोत के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य के

18/04/24

18/04/2024

प्रशासनिक संबंध पर आधारित पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं आदि का उपयोग किया जायेगा। इसके लिए विभिन्न पुस्तकालयों से सम्पर्क स्थापित किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट, कम्प्यूटर, ई–मेल आदि आधुनिकतम सूचना तन्त्रों का उपयोग किया जायेगा।

8. ज्ञान के क्षेत्र में योगदानः

इस शोध कार्य के संपादित होने से राजनीतिज्ञों के साथ–साथ भारतीय नीति निर्धारकों को ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा और ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। आज देश में ऐसी राजनीतिक विकृतियां उत्पन्न हो गयी है जिसके कारण भारतीय राजनीति में आदर्श मूल्यों को मृत प्राय कहा जा सकता है। इन बदलती हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप नवीं लोकसभा चुनाव के पश्चात् केन्द्रीय सरकार राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होती चली गई। केन्द्रीय सरकार के प्रभुत्व में कमी आने के कारण अन्य दलों को सत्ता में आने का अवसर प्रदान करने के साथ–साथ क्षेत्रीय दलों के महत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई। आज केन्द्र में सरकारों का सत्तारूढ़ एवं पदमुक्त होने का निर्णय क्षेत्रीय दलों के हाथों में आ गया। इस प्रकार क्षेत्रीय दलों ने सौदेबाजी की प्रथा को जन्म दिया। अतः केन्द्र एवं राज्यों के बीच अलग–अलग सरकारों के सत्तारूढ़ होने और उनके बीच पाये जाने वाले वैचारिक मतभेदों ने केन्द्र तथा राज्यों के बीच टकराव की स्थिति को जन्म दिया। जो आज हमारे राजनीतिक विश्लेषकों और संविधान निर्माताओं के लिए एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का लगाया जाना, राज्यों में राज्यपालों को बर्खास्त करने का मामला या विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने का मामला हो, इन विषयों को लेकर केन्द्र एवं राज्यों के बीच निरन्तर तनाव की स्थिति का जन्म हुआ। गैर केन्द्र शासित राज्यों की सरकारों के द्वारा केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु राज्यों की सरकारों को अपदस्थ किया जाता है। अतः राजनीतिक दलों के द्वारा समय–समय पर अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की बात कही गई। प्रारम्भिक दशकों का इतिहास भी अनुच्छेद 356 के आलोचकों का आधार बना। अपने तर्क की परिपुष्टि में आलोचकों के द्वारा जर्मनी के क्रूर इतिहास के अध्याय का उदाहरण दिया। जिसमें संविधान के ऐसे उपबन्धों का सहारा लेकर हिटलर तानाशाह बन गया था। उनका

18/04/24

राजकुमार मंडल
18/04/2024

कहना था कि इन उपबंधों के माध्यम से भारत में भी राष्ट्राध्यक्ष हिटलर की स्थिति तक पहुंच सकता है क्योंकि ये अधिकार किसी भी सत्तालोलुप महात्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए सर्वशक्तिमान बनने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन उपबंधों का विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि अनुच्छेद 356 जैसे प्रावधानों का प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के साथ कोई तालमेल नहीं है बल्कि ये प्रावधान स्वतन्त्र राजनीतिक समाज के लिए आत्मघाती है।

इस ज्वलंत समस्या का अध्ययन, विश्लेषण, चिंतन एवं समाधान परक शोध निश्चय ही संबंधित विषय में अभिरूचि रखने वाले छात्रों, शोधकर्ताओं एवं अन्य के ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि कारक होगा।

9. कार्य योजना :

अध्याय–1	भूमिका
अध्याय–2	भारतीय संघवाद में केन्द्र एवं राज्य के प्रशासनिक सम्बन्धों की प्रासंगिकता
अध्याय–3	केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच टकराव के प्रमुख कारण
अध्याय–4	केन्द्र एवं राज्य के प्रशासनिक सम्बन्धों में राज्यपाल की भूमिका
अध्याय–5	राज्य के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य की प्रशासनिक सम्बन्धों की समीक्षा
अध्याय–6	निष्कर्ष
प्रविष्टियाँ	संदर्भ ग्रन्थ सूची आदि।

10. संक्षिप्त पाठ्य सूची:

1. हरमन फाइनर ने अपनी पुस्तक Foreign Governments at Work: An Introductory Study, Forgotten Books (12 December 2018), London, 2018.
2. कृष्ण मोहन माथुर, सेन्टर–स्टेट रिलेशन एण्ड प्रास्पेक्ट्स दि इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडिमिनिस्ट्रेसन, नई दिल्ली, 2007
3. मोहनलाल अवस्थी, केन्द्र–राज्य सम्बन्ध संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में क्रियात्मक आयाम एवं उभरते ज्वलंत प्रश्न, उदयपुर, 2000

18/04/24

18/04/2024

4. बी0बी0 तायल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सुल्तान चन्द एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2000
5. डॉ0 अमरेश्वर अवस्थी एवं डॉ0 आनन्द प्रकाश अवस्थी, भारतीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 200
6. एस0के0 मजूमदार और भंवर सिंह, भारत में केन्द्र–राज्य सम्बन्ध, आर0बी0 एस0ए0 पब्लिशर्स, 2000
7. निशा वशिष्ठ, भारत में नौकरशाही की कार्यप्रणाली, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स, जयपुर 2005, पृष्ठ–36
8. डॉ0 उम्मेद सिंह इन्दा, भारत में राज्य राजनीति, आर0बी0ए0 पब्लिशर्स, जयपुर 2005
9. डॉ0 बीरकेश्वर प्रसाद सिंह, भारतीय शासन एवं राजनीति, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
10. डॉ0 आर0बी0 वर्मा, डॉ0 मधुसूदन मिश्रा, भारत के राजनीतिक दलों का रोगशास्त्र (संगठन और विचारधारा के संदर्भ में), ऑफसेट प्रिन्टर्स जयपुर, 2000
11. एन0एन0 मिश्र, लोक प्रशासन के बदलते आयाम, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1998
12. डॉ0 जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2006
13. महेन्द्र प्रसाद सिंह, Federalism in India, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2022

18/04/24
शोध पर्यवेक्षक

M B Verma
20.04.2024

20.04.24

20/4/24

गवेषक
18/04/2024

(राम कुमार मंडल)
NET Qualified- 2018
Roll No.- E2216044

Head
University Department of Political Science
Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga